

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : लोकेश कुमार मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 48/2020 राजस्व अपील

1. रामस्वरूप पुत्र श्री झूथा जाति गुर्जर निवासी ग्राम मोरोली तहसील सिकराय उप तहसील बहरावण्डा जिला दौसा।

अपीलान्त

बनाम

1. राज. सरकार जरिये नायब तहसीलदार उप तहसील बहरावण्डा जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्ध नायब तहसीलदार बहरावण्डा निर्णय दिनांक 14.03.2019 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम रामस्वरूप मु. नं. 12/19 अ. धारा 91 राज. भू राज. अधिनियम

उपस्थिति : श्री राजेन्द्र कसाना अधिवक्ता अपीलान्त उपस्थित।
: पैरोकार सरकार उपस्थित।

:- निर्णय :-

दिनांक: 26.08.2020

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलान्त के विरुद्ध पटवारी हल्का मोहचिंगपुरा द्वारा एक रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा के समक्ष इस आशय की पेश की गई कि अपीलान्त ने ग्राम मोरोली की चरागाह भूमि आराजी खसरा नं. 580, 739, 611, 613 रकबा 2.34 है. पर सम्वत 2075 में काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है। पटवारी हल्का की उक्त रिपोर्ट के आधार पर ही प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा ने अपीलान्त को बिना कोई सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही दिनांक 14.03.2019 को निर्णय पारित कर अपीलान्त को 90 दिवस के सिविल कारावास व विवादित आराजी से बेदखल कर लगान दर्ज कर 50 गुणा पेनल्टी की सजा से दण्डित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा के उक्त आदेश दिनांक 14.03.2019 से व्यथित होकर अपीलान्त द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्त ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नगत निर्णय जेर कानून नियम, उपनियम के खिलाफ होने के कारण निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी किये गये नोटिस की प्रार्थी अपीलान्त को व्यक्तिगत जानकारी नहीं हुई है, न ही नोटिस तामील हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी अपीलान्त को समुचित सुनवाई व साक्ष्य सबूत का पूर्ण अवसर नहीं दिया गया है। अपीलान्त ने किसी भी चरागाह भूमि पर कोई अतिक्रमण



अतिरिक्त जिला कलक्टर
दौसा

नहीं किया है। पटवारी हल्का ने भी अपनी रिपोर्ट में यह अंकित नहीं किया है कि अपीलान्ट ने कौनसी फसल काशत की है। अपीलान्ट को पटवारी से जिरह का कोई अवसर नहीं दिया गया है और ना ही पटवारी हल्का की रिपोर्ट एक्जिबिट ही हुई है। अपीलान्ट द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण भी साबित नहीं है। अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा के निर्णय दिनांक 14.03.2019 को निरस्त फरमाने का निवेदन किया।

जवाब बहस के दौरान पैरोकार सरकार ने निवेदन किया कि अपीलान्ट ने संवत 2075 में ग्राम मोरोली तहसील सिकराय में स्थित सिवायचक गै. मु. बांध की भूमि खसरा नम्बर 580 रकबा 1.01 है., गै. मु. पहाड की भूमि खसरा नं. 739/583 रकबा 0.78 है., गै. मु. नदी की भूमि खसरा नं. 611 रकबा 0.25 है. पर गेहूं की काशत कर तथा गै. मु. नदी की भूमि खसरा नं. 613 रकबा 0.30 है. में से 0.20 है. पर गेहूं की काशत कर एवं 0.10 है. पर पडत कर अतिक्रमण कर लिया है। अपीलान्ट अतिक्रमी के विरुद्ध भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से दिनांक 14.03.2019 को बेदखल करने एवं शास्ति आरोपित करने के साथ ही 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी भी है। पैरोकार सरकार द्वारा अपील अपीलान्ट खारिज फरमायी जाकर उप तहसीलदार बहरावण्डा के निर्णय दिनांक 14.03.2019 को यथावत रखने का निवेदन किया गया।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्राप्त अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को विधिवत नोटिस जारी कर सुनवाई, साक्ष्य, सबूत एवं जिरह का अवसर दिया जाकर ही प्रश्नगत निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्ट ने 2075 में ग्राम मोरोली तहसील सिकराय में स्थित सिवायचक गै. मु. बांध की भूमि खसरा नम्बर 580 रकबा 1.01 है., गै. मु. पहाड की भूमि खसरा नं. 739/583 रकबा 0.78 है., गै. मु. नदी की भूमि खसरा नं. 611 रकबा 0.25 है. पर गेहूं की काशत कर तथा गै. मु. नदी की भूमि खसरा नं. 613 रकबा 0.30 है. में से 0.20 है. पर गेहूं की काशत कर एवं 0.10 है. पर पडत कर अतिक्रमण किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। ऐसी स्थिति में हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय दिनांक 14.03.2019 में कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.03.2019 मुकदमा नम्बर 12/2019 उनवानी सरकार बनाम रामस्वरूप यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

(लोकेश कुमार मीना)

अति० जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 26.08.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(लोकेश कुमार मीना)

अति० जिला कलक्टर, दौसा